कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 156/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 25.04.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 25.04.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस नोट, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़
दिनांक– 25.04.2026

□मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत किशोरी से दुष्कर्म करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार
□बहला-फुसलाकर ले जाकर किया दुष्कर्म, पुलिस की तत्परता से आरोपी दबोचा गया

आजमगढ़। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु चलाए जा रहे *मिशन शक्ति अभियान 5.0* के अंतर्गत थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

प्रकरण के अनुसार दिनांक 14.12.2025 को वादी की नाबालिग पुत्री घर से कहीं चली गई थी, जिसकी काफी खोजबीन के बावजूद पता नहीं चल सका। बाद में एक मोबाइल नंबर के माध्यम से जानकारी प्राप्त होने पर उक्त नंबर को ट्रेस किया गया, जो अनुराग उर्फ करन पासी पुत्र सतीश उर्फ बबलू निवासी ग्राम प्रधानपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर का पाया गया। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस संबंध में थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0-382/2025 धारा 87/137(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 संदीप दुबे द्वारा की जा रही है। विवेचना के क्रम में साक्ष्यों के आधार पर धारा 64 बीएनएस एवं 5L/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन एवं थानाध्यक्ष गम्भीरपुर के नेतृत्व में दिनांक 25.04.2026 को उ0नि0 संदीप दुबे व का0 धीरज सिंह द्वारा मुखबिर की सूचना पर कस्बा गम्भीरपुर से समय करीब 11:50 बजे अभियुक्त अनुराग उर्फ करन पासी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–
अनुराग उर्फ करन पासी पुत्र सतीश उर्फ बबलू निवासी ग्राम प्रधानपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर।

पंजीकृत अभियोग–
मु0अ0सं0-382/2025 धारा 137(2)/87/64 बीएनएस व 5L/6 पॉक्सो एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–
1. उ0नि0 संदीप दुबे थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।
2. का0 धीरज सिंह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़
दिनांक– 25.04.2026

☐ ₹25,000/- का इनामिया गैंगेस्टर अभियुक्त गिरफ्तार
☐ गोकशी गैंग संचालित करने वाला वांछित आरोपी दबोचा गया

आजमगढ़। जनपद में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना फूलपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। ₹25,000/- का इनामिया व गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.01.2026 को जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा अनुमोदित गैंगचार्ट के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-19/2026 धारा 3(1), 2(ख)(17) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट बनाम फैजान उर्फ नाटे पुत्र मुहम्मद निवासी मेहियापार थाना फूलपुर आजमगढ़ सहित 08 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना पवई द्वारा की जा रही है। उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फैजान उर्फ नाटे की गिरफ्तारी हेतु ₹25,000/- का इनाम पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा घोषित किया गया था।

पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दिनांक 25.04.2026 को क्षेत्र में चेकिंग एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर दुर्वाषा पुल के पास से अभियुक्त फैजान उर्फ नाटे पुत्र मुहम्मद निवासी मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष, को समय 06:05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही के उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर गोकशी का गैंग संचालित करता है तथा अपनी सुरक्षा हेतु अवैध असलहा रखता है। विरोध होने पर वह असलहे के बल पर धमकी देकर फरार हो जाता था।
सम्बन्धित अभियोग–
मु0अ0सं0-19/2026 धारा 3(1)/2(ख)(17) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार अभियुक्त–
फैजान उर्फ नाटे पुत्र मुहम्मद निवासी मेहियापार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष।
आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0-45/2023 धारा 379, 411, 419, 420, 467, 468 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0-445/2024 धारा 109/115(2)/121(1)/132/3(5)/324(4)/351(3)/61(2) बीएनएस थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0-13/2025 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0-20/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0-41/2023 धारा 379, 411 भादवि थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
6. मु0अ0सं0-43/2023 धारा 41, 411, 419, 420, 467, 468 भादवि थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
7. मु0अ0सं0-57/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना जैतपुर जनपद अम्बेडकरनगर।
8. मु0अ0सं0-19/2026 धारा 3(1)/2(ख)(17) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ (विवेचनाधीन)।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1. थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द,का0 तबरेज अहमद, का0 अमन सिंह, म0का0 सपना तिवारी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

2.